राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, 222755, 2227602 FAX, 2385877)

(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com, website: www.rlsa.gov.in)

क्रमांकः F4(141)रालसा/डीएसएडीआर/मध्यस्थता ट्रेनिंग/ 559 दिनांकः 07.11.2017

कार्यालय आदेश

जैसा कि विदित है कि इस प्राधिकरण के निर्देशन में राजस्थान राज्य के प्रशिक्षक मध्यस्थ (न्यायिक अधिकारी एवं अधिवक्तागण) के द्वारा मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम राजस्थान राज्य में आयोजित किए जा रहे हैं और उनके द्वारा समय–समय पर एमसीपीसी के निर्देशानुसार नई दिल्ली या अन्यत्र स्थान पर प्रशिक्षण लिया भी जाता है तथा साथ ही अन्य न्यायिक अधिकारी एवं अधिवक्तागण के द्वारा प्रशिक्षण लेने का कार्य भी किया जाता है।

माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के आदेशानुसार प्रशिक्षक मध्यस्थों एवं प्रतिभागियों के मानदेय, यात्रा एवं दैनिक भत्ते के भुगतान के संबंध में निम्नानुसार **स्थायी स्वीकृति आगामी आदेश तक** प्रदान की जाती है–

1. **न्यायिक अधिकारी**, जिसमें प्रशिक्षक एवं प्रतिभागी दोनों सम्मिलित हैं, राजस्थान सेवा नियम के तहत यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ते प्राप्त करने का अधिकारी होंगे।
2. **प्रशिक्षक मध्यस्थ**, जिसमें न्यायिक अधिकारी एवं अधिवक्ता दोनों सम्मिलित हैं, को अपने कार्यस्थल से कार्यक्रम स्थल तक (**केवल राजस्थान राज्य के भीतर**) आने–जाने हेतु निजी कार से यात्रा करने की अनुमति दी जाती है।
3. यदि **प्रशिक्षक मध्यस्थ अधिवक्ता** के द्वारा इस प्राधिकरण के निर्देशन में प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे प्रत्येक प्रशिक्षण दिवस हेतु 1000 रुपए का मानदेय दिया जावेगा तथा आधे प्रशिक्षण दिवस हेतु 500 रुपए का मानदेय दिया जावेगा।
4. **राजस्थान राज्य के भीतर यात्रा में प्रशिक्षक मध्यस्थ अधिवक्ता को–**

   (क) प्राधिकरण के द्वारा नाश्ता, खाना व ठहरने के लिए व्यवस्था नहीं करने की स्थिति में प्रतिदिन के नाश्ता, खाना व ठहरने के लिए वास्तविक व्यय या अधिकतम 800 रूपये प्रतिदिन या दोनों में से जो भी कम हो, देय होगा तथा रसीद के अभाव में 400 रुपए प्रतिदिन के रूप में देय होगा।

   (ख) अपने कार्यस्थल से कार्यक्रम स्थल तक आने–जाने की यात्रा करने के लिए द्वितीय श्रेणी की वातानुकूलित रेल सेवा/डीलक्स रोड़वेज बस सेवा/स्वयं के निजी वाहन से यात्रा करने पर 4.5 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से वास्तविक दूरी का भुगतान (पेट्रोल/डीजल की गाड़ी की प्रकृति के अनुसार) किया जावेगा और टोल संबंधी रसीद पेश करने पर उसका भी भुगतान किया जावेगा।

   (ग) रेल या बस सेवा से अपने कार्यस्थल से कार्यक्रम स्थल पर आते हैं तो कार्यस्थल/कार्यक्रम स्थल से रेल व बस स्टैण्ड तक आने–जाने के लिए जयपुर में 150+150=300 रुपये एवं कोटा, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर में 100+100=200 रुपये तथा अन्य स्थानों पर ऑटो किराया के रूप में 60+60=120 रुपये देय होगा। **यदि इससे अधिक कोई व्यय होता है तो उसका वहन स्वयं के द्वारा किया जावेगा।**

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, 222755, 2227602 FAX, 2385877)
(Toll Free Help Line: 15100, E-mail: rj-slsa@nic.in, rslsajp@gmail.com, website: www.rlsa.gov.in)

5. **राजस्थान राज्य से बाहर यात्रा में प्रशिक्षक मध्यस्थ अधिवक्ता को–**

(क) आयोजक के द्वारा नाश्ता, खाना व ठहरने के लिए व्यवस्था नहीं करने की स्थिति में प्रतिदिन नाश्ता, खाना व ठहरने के लिए वास्तविक व्यय या अधिकतम 1600 रूपये प्रतिदिन या दोनों में से जो भी कम हो, देय होगा तथा रसीद के अभाव में 700 रुपए प्रतिदिन के रूप में देय होगा।

(ख) अपने कार्यस्थल से कार्यक्रम स्थल तक आने–जाने की यात्रा करने के लिए द्वितीय श्रेणी की वातानुकूलित रेल सेवा/डीलक्स रोड़वेज बस सेवा का उपयोग किया जा सकता है तथा मूल रसीद पेश करने पर भुगतान किया जावेगा।

(ग) इसी प्रकार स्थानीय परिवहन के लिए वास्तविक टेक्सी भाडा या अधिकतम 10 रूपये प्रति किलोमीटर या दोनों में जो भी कम हो, देय होगा।

6. **प्रतिभागी अधिवक्ता मध्यस्थ/अधिवक्ता को–**

(क) अपने कार्यस्थल से कार्यक्रम स्थल तक आने–जाने की यात्रा करने के लिए तृतीय श्रेणी की वातानुकूलित रेल सेवा/डीलक्स रोड़वेज बस सेवा/स्वयं के निजी वाहन से यात्रा करने पर 4.5 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से वास्तविक दूरी का भुगतान (पेट्रोल/डीजल की गाड़ी की प्रकृति के अनुसार) किया जावेगा और टोल संबंधी रसीद पेश करने पर उसका भी भुगतान किया जावेगा।

(ख) रेल या बस सेवा से अपने कार्यस्थल से कार्यक्रम स्थल पर आते हैं तो कार्यस्थल/कार्यक्रम स्थल से रेल व बस स्टैण्ड तक आने–जाने के लिए जयपुर में 150+150=300 रुपये एवं कोटा, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर व उदयपुर में 100+100=200 रुपये तथा अन्य स्थानों पर ऑटो किराया के रूप में 60+60=120 रुपये देय होगा। **यदि इससे अधिक कोई व्यय होता है तो उसका वहन स्वयं के द्वारा किया जावेगा।**

7. प्रतिभागी अधिवक्ता/स्थानीय अधिकारियों को कोई भी दैनिक भत्ता नहीं दिया जावेगा।

8. राजस्थान राज्य में होने वाले समस्त मध्यस्थता कार्यक्रमों के लिए यात्रा व्यय एवं दैनिक भत्तों का पुनर्भुगतान संबंधित पदस्थापित/कार्यस्थल के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से किया जाएगा तथा राजस्थान राज्य से बाहर होने वाले समस्त मध्यस्थता कार्यक्रमों के लिए यात्रा व्यय एवं दैनिक भत्तों का पुनर्भुगतान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा धारा 4(सी) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में आवंटित बजट से किए जावेगा।

(एस.के. जैन)
सदस्य सचिव

क्रमांकः F4(141)रालसा/डीएसएडीआर/मध्यस्थता ट्रेनिंग/ 26663-26699 दिनांकः 07.11.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
2. संबंधित प्रशिक्षक मध्यस्थ, राजस्थान राज्य।
3. प्रभारी अधिकारी, लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।

07.11.17

(अनुतोष गुप्ता)
उप सचिव
(एक्शन प्लान एण्ड ए.डी.आर)